

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं०-138 / 2022-23

सरकार

-बनाम-

नौशाद खान

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक -739/अप० शा० दिनांक - 21.03.2023 के द्वारा वादी अमित कुमार पे०-ओम प्रकाश यादव सा०-काँके पोस्ट-काँके थाना-जयनगर जिला-कोडरमा वर्तमान पु०अ०नि०-सह-थाना प्रभारी रायडीह जिला-गुमला के पद पर पदस्थापित के कम्प्यूटीकृत आवेदन के आधार के आधार पर रायडीह थाना काण्ड सं०-02/2023 दिनांक-17.02.2023 धारा-20 (b)(ii)(B)/29 NDPS Act.1985 के तहत अवैद्य रूप से गांजा संचय, करने के आरोप जप्त इंडिगो कार रजि० सं० - JH1BH- 8440 के मालिक नौशाद खान पे०-स्व० मुख्यतार खान सा०-तोरपा थाना-तोरपा जिला-खूँटी के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को अपना पक्ष न्यायालय में रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा सहायक लोक अभियोजक गुमला से वैधिक मंतव्य की मांग की गई।

उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी अनुपस्थित रहने के कारण उनका पक्ष को नही सुना गया और न ही अपने दावे के समर्थन में कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

लोक अभियोजक गुमला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि NDPS Act NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT-1985 का धारा-60 में Confiscation का प्रावधान है परन्तु Confiscation की कार्रवाई विशेष न्यायायल द्वारा ही की जा सकती है। इस संबंध में The NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT-1985 का धारा द्रष्टव्य।

अतः उक्त प्रावधानों के आलोक में प्रश्नगत वाद की कार्रवाई बिना फलाफल के समाप्त की जाती है।

इस आशय की सूचना पुलिस अधीक्षक गुमला/लोक अभियोजक, गुमला को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

19.04.23
उपायुक्त,
गुमला

19.04.23
उपायुक्त,
गुमला